राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

ANM पद के अभ्यर्थियों के लिए
दावा/आपत्ति आमंत्रण सूचना

(विज्ञापन संख्या–08/2025)

विज्ञापन संख्या–08/2025 के तहत **ANM** के संविदागत 5006 रिक्त पदों विरूद्ध चयन/नियोजन हेतु दिनांक 17, 18 एवं 19 दिसम्बर'25 को ऑनलाईन Computer Based Test (CBT) में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में से कोटिवार रिक्ति के अनुसार मेधाक्रम में 1:1.5 के अनुपात में कुल 7780 अभ्यर्थी का प्रमाण–पत्र सत्यापन, दिनांक 27.01.2026 से 03.02.2026 तक आयोजित की गयी। उक्त प्रमाण–पत्र सत्यापन के फलाफल निम्नांकित सूची (कारण सहित) को समिति के वेबसाईट **shs.bihar.gov.in** पर प्रकाशित किया गया है:–

1. वैसे अभ्यर्थी, जिन्हें प्रमाण–पत्र सत्यापन में अयोग्य (Disqualified) घोषित किया गया है।
2. वैसे अभ्यर्थी, जिनके द्वारा आवेदित कोटि के अनुरूप वांछित वैध (Valid) दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने के कारण आवेदित कोटि का लाभ नहीं दिया गया है।
3. वैसे अभ्यर्थी, जिन्हें कोविड–19 से संबंधित कार्यानुभव का लाभ दिया गया/नहीं दिया गया है।

उक्त सूची में अंकित अभ्यर्थियों से Remarks में अंकित कारणों के विरूद्ध निम्न कार्यक्रम के अनुसार विहित प्रपत्र में दावा/आपत्ति (Claim/Objection) आमंत्रित किये जाते हैं:–

तिथि एवं समय	प्रकाशित सूची के अनुरूप दावा/आपत्ति आमंत्रण का विवरण	कार्यक्रम स्थल
17-02-2026 को पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक	1. वैसे अभ्यर्थी, जिन्हें प्रमाण–पत्र सत्यापन में अयोग्य (Disqualified) घोषित किया गया है।	राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (SIHFW), शेखपुरा, पटना–14
18-02-2026 को पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक	2. वैसे अभ्यर्थी, जिनके द्वारा आवेदित कोटि के अनुरूप वांछित वैध (Valid) दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने के कारण आवेदित कोटि का लाभ नहीं दिया गया है। 3. वैसे अभ्यर्थी, जिन्हें कोविड–19 से संबंधित कार्यानुभव का लाभ दिया गया/नहीं दिया गया है।	

अतः प्रकाशित सूची में वर्णित अभ्यर्थी को Remarks के विरूद्ध संलग्न दिशा–निर्देश में निहित शर्तों का अनुपालन करते हुए **<u>स्वयं उपस्थित होकर</u>** विहित प्रपत्र (संलग्न) में अपना दावा/आपत्ति दर्ज करना अनिवार्य होगा।

13/2/26

संयुक्त सचिव –सह–
प्रभारी, मानव संसाधन

कोई भी व्यक्ति चाहे वह सरकारी अथवा गैर–सरकारी वाह्य व्यक्ति हो, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार में नौकरी दिलाने के नाम पर आपसे सम्पर्क स्थापित कर ठगी करने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे तत्वों के संबंध में अविलंब कार्यालय को सूचित करें। ऐसे किसी तत्वों से संलिप्तता पाये जाने पर संबंधित अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

साथ ही, <u>सोशल मिडिया</u> पर भ्रमित किये जाने वाले सूचनाओं से अभ्यर्थी सजग रहें तथा नियुक्ति से संबंधित जानकारी हेतु समिति के वेबसाईट https://shs.bihar.gov.in/ का सतत् अनुश्रवण करते रहें।

दावा/आपत्ति दर्ज करने संबंधी विहित प्रपत्र

क्र॰ सं॰	विषय	विवरण (अभ्यर्थी द्वारा भरा जाएगा।)
1.	विज्ञापन संख्या	08/2025
2.	पदनाम	**ANM**
3.	एप्लिकेशन नम्बर	
4.	रौल नम्बर (Admit Card की प्रति संलग्न करें)	
5.	अभ्यर्थी का नाम (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में)	
6.	पिता का नाम	
7.	फोटोयुक्त पहचान–पत्र (संलग्न करें)	
8.	प्रकाशित सूची में दावा/आपत्ति का कारण	
9.	दावा/आपत्ति का विवरण	
10.	साक्ष्य (यदि हो, तो संलग्न करें)	

नोटः– किसी भी प्रकार की सूचना, त्रुटि/गलत/असत्य पाये जाने पर मेरे विरूद्ध विधिसम्मत् कार्रवाई की जा सकती है।

....

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर (तिथि सहित)

दावा/आपत्ति दर्ज करने संबंधी दिशा–निर्देश

1. संबंधित अभ्यर्थियों की दावा/आपत्ति केवल उक्त विहित प्रपत्र में हीं मान्य होंगे। इसके अतिरिक्ति आवेदन/ईमेल आदि के माध्यम से प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
2. आपत्ति की मूलप्रति (Hard Copy) निर्धारित तिथि (17.02.2026 एवं 18.02.2026) को राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (SIHFW), शेखपुरा, पटना–14 में पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक विहित प्रपत्र में **स्वयं उपस्थित होकर** जमा करेंगे। उक्त निर्धारित तिथि के उपरांत अथवा अन्य माध्यम से प्राप्त दावा/आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
3. दावा/आपत्ति का कारण साक्ष्य सहित स्पष्ट शब्दों में अंकित करना होगा। अस्पष्ट अथवा अपठनीय या साक्ष्य रहित दावा/आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
4. अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित आपत्ति (साक्ष्य सहित) के आधार पर प्रमाण–पत्र सत्यापन में उपलब्ध कराये गये कागजात/दस्तावेज आदि की जाँच की जाएगी। अर्थात् अभ्यर्थी केवल प्रकाशित सूची में उल्लिखित Remarks (कारण) के विरूद्ध ही अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, इससे भिन्न नहीं।
5. BNRC Certificate की अनुपलब्धता एवं अन्य कारणों से अयोग्य (Disqualify) घोषित किये गये अभ्यर्थी के द्वारा Certificate की स्व–अभिप्रमाणित प्रति एवं प्रवेश–पत्र की प्रति विहित प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा मूल प्रति के साथ कमिटि के समक्ष जाँच हेतु उपस्थित होना होगा।
6. ऑनलाईन आवेदन में अंकित किये गये आरक्षित कोटि का प्रमाण–पत्र सही नहीं पाये जाने/उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण उन्हें आवेदित कोटि का लाभ नहीं दिया गया है, से संबंधित अभ्यर्थी के द्वारा दावा किये गये कोटि से संबंधित प्रमाण–पत्र (यथा–जाति प्रमाण–पत्र/क्रीमिलेयर रहित प्रमाण–पत्र/आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण–पत्र/आवासीय प्रमाण–पत्र, जो भी लागू हो) की स्व–अभिप्रमाणित प्रति एवं प्रवेश–पत्र की प्रति विहित प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा मूल प्रति के साथ कमिटि के समक्ष जाँच हेतु उपस्थित होना होगा।
7. ऑनलाईन आवेदन में अंकित किये गये कोविड–19 के कार्यानुभव का प्रमाण–पत्र सही नहीं पाये जाने/कार्यावधि की तिथि स्पष्ट अंकित नहीं रहने के कारण कार्यानुभव का लाभ प्राप्त नहीं करने वाले अभ्यर्थी के द्वारा कार्यानुभव प्रमाण–पत्र की स्व–अभिप्रमाणित प्रति एवं प्रवेश–पत्र की प्रति विहित प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा मूल प्रति के साथ कमिटि के समक्ष जाँच हेतु उपस्थित होना होगा।
8. वैसे अभ्यर्थी, जिन्हें कोविड–19 के कार्यानुभव का लाभ दिया गया है, को यदि प्रकाशित सूची में अंकित कार्यावधि से संबंधित कोई आपत्ति हो तो वे कार्यानुभव प्रमाण–पत्र की स्व–अभिप्रमाणित प्रति एवं प्रवेश–पत्र की प्रति विहित प्रपत्र के साथ संलग्न करते हुए मूल प्रति के साथ कमिटि के समक्ष जाँच हेतु उपस्थित हो सकते हैं।